तत्काल

संख्या 15/1/2021-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
* * *

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1
दिनांक 12 जनवरी, 2021

सेवा में ,

12 JAN 2021

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

\- - -

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए ,इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ,1971 तथा भारतीय झंडा संहिता ,2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति ,उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ,1971 तथा भारतीय झंडा संहिता ,2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि ,प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं ,ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। अत:, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ,सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप ,जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही

1/2-

(12)

जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। अत:,आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक -यथोपरि

प्रेम प्रकाश
12/01/2021
(प्रेम प्रकाश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309 2421

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

प्रेम प्रकाश
12/01/2021
(प्रेम प्रकाश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309 2421

(3

7

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

(4)

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या

(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या

(घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. <u>राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना</u>

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुमनि, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क <u>दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड</u>

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण्ण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।

भारतीय झंडा संहिता

2002

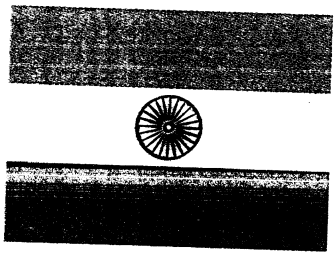

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

भारतीय झंडा संहिता

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में अनेक लोगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराते रहने के लिये सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डा॰ राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डा॰ एस॰ राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि ''भगवा या केसरिया रंग त्याग या नि:स्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे नेतागणों को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तले शासन करने वाले लोगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पुनश्च, चक्र प्रगति का प्रतीक हैं, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चलना ही जिंदगी है। भारत को परिवर्तन की अनदेखी नहीं करनी है, अपितु आगे ही आगे बढ़ना है। चक्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।''

सब के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्राय: देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज़ और औपचारिकताएं हैं उसकी जानकारी न तो आम जनता को है और न ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी असांविधिक निर्देशों, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का सं॰ 12) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन नियंत्रित होता है। सभी के मार्गदर्शन और हित के

लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाज़ों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग II में विवरण दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग III में दिया गया है।

"झंडा संहिता–भारत" के स्थान पर "भारतीय झंडा संहिता, 2002" को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।

भाग-I

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग-अलग रंगों की पट्टियां होंगी जो समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला अशोक चक्र बना होगा। बेहतर होगा यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ाई किया हुआ हो जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट दिखाई देता हो।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो।

1.3 राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे:-

झंडे का आकार वर्ग	मिलीमीटरों में माप
1	6300 × 4200
2	3600 × 2400
3	2700 × 1800
4	1800 × 1200
5	1350 × 900
6	900 × 600
7	450 × 300
8	225 × 150
9	150 × 100

1.5 फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। 450 × 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के लिये, 225 × 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 × 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।

भाग-II

आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

2.1 आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गौरव

---

*संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2 : *इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-*

(क) 'संप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तमगा, कोट-आफ-आर्म्स या चित्रात्मक स्वरूप से है;

धारा 3 : *इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह्न या उससे मिलती-जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नही करेगा या प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा।*

नोट: *इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।*

अपमान निवारण अधिनियम, 1971** तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के। उपर्युक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:—

(i) झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा अन्यथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा;

(ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा;

(iii) झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका कर फहराने के आदेश जारी किए गए हों;

****राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971**

धारा 2 : कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरुपित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2—'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3—'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

(iv) झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत शवयात्रा शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा;

(v) किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियों, रूमालों, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा;

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे;

(vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;

लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी;

(viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा;

(x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा;

(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(xiii) झंडे को जानबूझकर ''केसरिया'' रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।